

प्रेषक,

अर्जुन सिंह,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
उत्तराखण्ड जल संस्थान,
देहरादून।

पेयजल एवं स्वच्छता अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक: 04 ^{अप्रै} मई, 2018

विषय :- जनपद देहरादून के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय भवनो पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 703/टी.ए.सी./2018-19 दिनांक 25 अप्रैल, 2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून के अन्तर्गत विभिन्न शासकीय भवनो पर वर्षा जल संरक्षण प्रणाली (Rain Water Harvesting System) कार्य हेतु रू0 77.44लाख (रू0 सतहत्तर लाख चौवालीस हजार मात्र) (निर्माण कार्य हेतु रू0 71.95लाख, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के अन्तर्गत रू0 5.49 लाख) औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रथम किश्त के रूप में संलग्न सूची के अनुसार रू0 30.98 लाख (रू0 तीस लाख अठान्नवे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i) स्वीकृत धनराशि का आहरण मुख्य महाप्रबन्धक, उत्तराखण्ड जल संस्थान, देहरादून के हस्ताक्षर तथा जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल देहरादून कोषागार में प्रस्तुत करके दिया जायेगा।
- (ii) स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2019 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत किया जाय।
- (iii) कार्य कराने से पूर्व मदवार दर विशलेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों के आधार पर जो दरें शैड्यूल ऑफ रेदस में स्वीकृत नहीं हैं अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता से अनुमोदन करना आवश्यक है।
- (iv) कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
- (v) कार्य पर उतना ही व्यय किया जाये जितनी धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
- (vi) कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को कराना सुनिश्चित करें।
- (vii) निर्माण कार्यो को निर्धारित समय व स्वीकृत लागत में पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए, जिस हेतु निर्माण की प्राथमिकता और समय सारणी इस प्रकार तैयार की जाए कि निर्माण हेतु उपयुक्त माहों/सीजन का पूर्ण लाभ लिया जा सके और पूर्ण होने वाले

कार्य शीघ्र पूर्ण होकर उपयोग में लाये जा सकें।

- (viii) कार्य कराने से पूर्व उच्च अधिकारियों एवं भू-गर्भवेत्ता(कार्य की आवश्यकतानुसार) से स्थल का भली भाँति निरीक्षण अवश्य करा लिया जाय तथा निरीक्षण के पश्चात दिये गये निर्देशों के अनुरूप ही कार्य कराया जाय।
- (ix) उक्त योजनाओं के कार्य उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 वित्त नियम संग्रह खण्ड-1(वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 (लेखा नियम), आय-व्ययक सम्बन्धी नियम(बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
- (x) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री को ही प्रयोग में लाया जाय।
- (xi) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-13, लेखाशीर्षक-2215-जलपूर्ति तथा सफाई-01- जलापूर्ति-001-निदेशन तथा प्रशासन-04-रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेतु अनुदान(22150180005से स्थान्तरित)- 00-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मद के नामें डाला जायेगा।

3. धनराशि आहरण वितरण अधिकारी को कम्प्यूटर आवंटन संख्या- H1805133115 दिनांक 29 मई, 2018 से आवंटित की जा रही है। धनराशि का उपयोग हेतु शासनादेश संख्या-519/3(150)-2017/XXVII(1)/2018 दिनांक 02 अप्रैल, 2018 के द्वारा निर्गत दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।


4. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0 संख्या-141/XXVII (2)/2018 दिनांक 29 मई, 2018 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अर्जुन सिंह)
अपर सचिव।

पू0 संख्या- 968 (1)/उन्तीस(2)/18-2(42 पे0)/2017 टी0सी0II तददिनांकित।
प्रतिलिपित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. जिलाधिकारी, देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
5. बजट निदेशालय, देहरादून।
6. वित्त अनुभाग- /2, उत्तराखण्ड शासन।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(निर्मल कुमार)
अनु सचिव।